न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ओसियां जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः–202/2019

प्रार्थीः–

कालुराम पुत्र लुम्बाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम जम्भेश्वरनगर भेड़ तहसील ओसियां जिला जोधपुर।

–:: बनाम ::–

अप्रार्थीः–

सरकार जरिये तहसीलदार, ओसियां जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री घेवरराम विश्नोई वकील प्रार्थी की और से।
2. अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः–30.10.2019

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 186 व 212 कुल रकबा 55 बीघा, मौजा ग्राम जम्भेश्वरनगर की सरहद में आई हुई हैं उक्त भूमि के रेाजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम तथा प्रार्थी के पिता का नाम लाखाराम दर्ज कर दिया जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम कालुराम तथा प्रार्थी के पिता का सही नाम लुम्बाराम है। इसी प्रकार प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत बिल, प्रार्थी के पीपीओ इत्यादि दस्तावेजों में भी कालुराम पुत्र लुम्बाराम दर्ज है तथा प्रार्थी की अन्य भूमि खसरा नम्बर 29 ग्राम शिवनगर पटवार क्षैत्र भेड़ के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कालुराम पुत्र लुम्बाराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हो जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अतः प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 186 व 212 कुल रकबा 55.00 बीघा मौजा ग्राम जम्भेष्वरनगर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र लाखाराम के स्थान पर वास्तविक नाम कालुराम पुत्र लुम्बाराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड शुद्ध किये जाने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार ओसियां को जरिये नोटिस तलब किया गया, तहसीलदार ओसियां ने उक्त प्रार्थना पत्र बाबत जांच कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जम्भेश्वरनगर मूल ग्राम भाखरी के राजस्व रेकार्ड मिसल बन्दोबस्त अनुसार ग्राम भाखरी के खसरा नम्बर 186, 212 कुल रकबा 109.13 बीघा में धोंकल वल्द जेता 1/2 जांवता वल्द

Scanned by CamScanner

मरथा, रामचन्द्र बगता पि. लाखा मंगलीया हरका भगवाना पि. लूम्बा 1/2 जाति श्नोई दर्ज है। नई जमाबंदिया तहरीर करते समय सेवन से मंगलीया हरका गवाना पि. लूम्बा की जगह मंगलीया हरका भगवाना पि. लाखा दर्ज हो गया व गलीया लाऔलाद फौत होने से नाम हडाया गया। प्रार्थी कालूराम का नाम वक्त टलमेंट मिसल बन्दोबस्त में भगवाना पि. लूम्बा दर्ज है, जबकि प्रार्थी के पहचान स्तावेज, राषन कार्ड, आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम ालूराम पित्र लुम्बाराम दर्ज हैं प्रार्थी व प्रार्थी के भाई हिरकन के पिता सही नाम मुम्बाराम है इस संबंध में प्रार्थी के भाई हिरकन उर्फ हरीकिशन के बयान लिये गये है। मौके पर अन्य सहखातेदारों के साथ हिरकन के स्थान पर हरिकिशन कालुराम पे. लुम्बाराम का ही कब्जा काष्त है। हिरकन भगवाना पित्र लाखाराम नाम के कोई व्यक्ति नहीं है। अतः प्रार्थी व प्रार्थी के भाई के पहचान दस्तावेज व मौके पर कब्जा काश्त अनुसार ग्राम जम्भेश्वरनगर के खसरा नम्बर 186 व 2121 कुल रकबा 55.00 बीघा में हीरकनराम भगवानाराम पि. लाखाराम की जगह हीरकनराम कालुराम पि. लुम्बाराम सही किया जाना उचित है।

मैंने उभय पक्षकारान की बहस सुनी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 उचित आधारों पर आधारित पाया जाता है तथा अप्रार्थी तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र युक्तियुक्त आधारों पर आधारित है, जो स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है तथा तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व तहसीलदार, ओसियां की रिपोर्ट का खंडन नहीं किया गया है, अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत पूर्णतया ठोस आधार प्रकट होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, ओसियां को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की इस्तदुआ अनुसार प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 186 व 212 कुल रकबा 55.00 बीघा मौजा ग्राम जम्भेष्वरनगर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम भगवानाराम पुत्र लाखाराम के स्थान पर वास्तविक नाम कालुराम पुत्र लुम्बाराम दर्ज कियें जाने के आदेश दिये जाते है। अतः तहसीलदार, ओसियां तदनुसार उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के सही नाम कालुराम पुत्र लुम्बाराम का अंकन करें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले ... में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:08 IST
Reason: SelfAttested

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner